

प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ईशताहार का प्रकाशन कर दिनांक 11.05.2018 तक आपत्ति आमंत्रित किया गया परंतु निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्रकरण में धारा 11 के तहत अधिसूचना निम्नानुसार प्रकाशन कराया गया जिसमें निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।

1. छ0ग0राजपत्र भाग-1 पृ0क्रमांक 1266 दिनांक 06.06.2018
2. नई दुनिया बिलासपुर समाचार पत्र दिनांक 04.06.2018
3. जनकर्म समाचार पत्र दिनांक 04.06.2018
4. ग्राम जरेकेला में मुनादी/चस्पा दिनांक 04.06.2018

4- धारा 11 के तहत प्रकाशित उपर्युक्त अधिसूचना पर निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप प्रकरण में भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचना कलेक्टर महोदय रायगढ़ से हस्ताक्षर पश्चात् निम्नानुसार प्रकाशन कराया गया :-

1. छ0ग0राजपत्र भाग-1 पृक्रमांक 2138 दिनांक 24.09.2018
2. पत्रिका बिलासपुर समाचार पत्र दिनांक 26.08.2018
3. ईस्पात टाईम्स समाचार पत्र दिनांक 26.08.2018
4. ग्राम जरेकेला में मुनादी/चस्पा एवं तहसील कार्यालय तमनार के सूचा पटल पर चस्पा दिनांक 27.08.2018

तदनुसार उपरोक्तानुसार ग्राम में मुनादी एवं अधिसूचना प्रकाशन पर निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण में भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत प्रभावित खातेदारों को समक्ष में सुनवाई हेतु व्यक्तिशः नोटिस जारी किया गया। निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।

5- ग्राम जरेकेला की विभिन्न किस्म की भूमियों की पिछले तीन वर्षों की औसत विक्रय दर की जानकारी उप पंजीयक घरघोडा से ली गई पत्र पृथक से संलग्न है।

असिंचित भूमि:-

औसत विक्रय भूमि खार प्रति हेक्टेयर- 1600682-00

6- छ0ग0शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-4-171/सात-1/2015 दिनांक 17.05.2019 में दिये गये निर्देशानुसार छ0ग0राज्य की सीमा के भीतर भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) के अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रतिकर, ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में, जिस गुणांक द्वारा बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है, वह गुणांक 2.00 (दो) होगा। परंतु देय मुआवजा पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों के अनुसार पडत भूमि के मामले में प्रति एकड 6 लाख, असिंचित एक फसली के मामले में 8 लाख एवं सिंचित दो फसली के मामले में 10 लाख प्रति एकड से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।

7- प्रकरण में प्रभावित अग्रिहित की जाने वाली भूमि खसरा नंबर 578 से रकबा 0.057 हे0 के सहखातेदार माधवराज आ0 शेषदेव देवमति बेवा शेषदेव बेहरा की मृत्यु हो जाने के कारण वारिसानों का नाम रिकार्ड दुरुस्त कर हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत बी-1 प्रकरण में पृथक से संलग्न किया गया एवं तदनुसार वर्तमान खातेदार एवं सहखातेदारों का नाम मुआवजा पत्रक में संशोधित किया गया है।

8- ग्रामसभा का प्रस्ताव दिनांक 05.06.2019 की प्रति संलग्न है।

प्रकरण में शासन के निर्देशानुसार ही अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा निर्धारण किया गया है जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है :-औसत विक्रय छांट एवं गाईड लाईन में जो भी अधिक है उसके अनुसार मुआवजे की गणना किया जाकर गुणांक कारक-दो, 100 प्रतिशत सोलेशियम एवं 17 माह का ब्याज, 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से जोडा जाकर गणना की गई है जो गणना पत्रक में दर्शाया गया है। प्रभावित भूमि में खडे वृक्षों के संबंध में तहसीलदार, हल्का पटवारी एवं वन विभाग के अधिकारियों से संयुक्त मूल्यांकन कराया गया है वृक्षों का विवरण पत्रक 17 में दर्शाया गया है जिसे आदेश का अंग माना जावे।